बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
(आम आदमी बीमा योजना कोषांग)
दावा भुगतान की प्रक्रिया

1. सामान्य मृत्यु की दशा में :-

सामान्य मृत्यु की दशा में बीमा प्रमाण पत्र धारक के नामित व्यक्ति द्वारा मृतक का पंचायत द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्गत बीमा प्रमाण पत्र अपने दावा पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा तथा दावा पत्र को पंचायत के मुखिया/पंचायत समिति के सदस्य/वार्ड सदस्य/ सरपंच, जो भी उपलब्ध हों, द्वारा अग्रसारित करा कर भारतीय जीवन बीमा निगम के निकटतम शाखा कार्यालय में जमा किया जाएगा। उक्त कार्यालय एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से नामित व्यक्ति को दावे का भुगतान करेगा। अतएव आवश्यक होगा कि नामित व्यक्ति का एकाउंट स्थानीय बैंक अथवा डाक घर में खुला हो जिसका विवरण दावा पत्र मे अंकित करनी होगी।

2. दुर्घटना मृत्यु की दशा में :-

दुर्घटना की दशा में बीमा प्रमाण पत्र धारक के नामित व्यक्ति द्वारा मृतक का पंचायत द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचनामा/ पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं थाने में दर्ज प्राथमिकी/ सन्हा की प्रति तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्गत बीमा प्रमाण पत्र अपने दावा पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा और दावा पत्र को पंचायत के मुखिया/ पंचायत समिति के सदस्य/ वार्ड सदस्य/ सरपंच, जो भी उपलब्ध हों, द्वारा अग्रसारित करा कर भारतीय जीवन बीमा निगम के निकटतम शाखा कार्यालय में जमा किया जाएगा। उक्त कार्यालय एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से नामित व्यक्ति के दावे का भुगतान करेंगे। अतएव नामित व्यक्ति का एकाउंट स्थानीय बैंक अथवा डाक घर में खुला होना चाहिए जिसका विवरण दावा पत्र में अंकित करना होगा।

3. दुर्घटना में अपंगता हित लाभ का दावा :-

दुर्घटना में अपंगता हित लाभ का दावा करने के लिए दुर्घटना का प्रमाण पत्र तथा सरकारी सिविल सर्जन/ सरकारी हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें अपंगता का पूरा-पूरा विवरण होगा, बीमा प्रमाण पत्र धारक द्वारा दावा पत्र के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के निकटतम शाखा कार्यालय में जमा किया जाएगा। उक्त कार्यालय एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से संबंधित बीमा प्रमाण पत्र धारक को अपंगता हेतु लाभ उठाने के दावे का भुगतान करेगा। अतएव बीमा प्रमाण पत्र धारक को अपंगता हेतु लाभ के दावे का भुगतान करेगा। अतएव बीमा प्रमाण पत्र धारक का एकाउंट स्थानीय बैंक अथवा डाक घर में खुला होना चाहिए जिसका विवरण दावा पत्र में अंकित किया जाएगा।

4. शिक्षावृति का लाभ :-

आवेदक (बीमित सदस्य) द्वारा छात्रवृति के आवेदन पत्र की कंडिका-1 भरकर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराया जाएगा। तत्पश्चात प्रधानाचार्य द्वारा कंडिका-1 की सूचनाओं के सत्यापन के उपरांत छात्रवृति आवेदन पत्र के कंडिका '2' एवं '3' को भरकर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के निकटतम शाखा कार्यालय में जमा किया जाएगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा छात्रवृति की राशि का चेक संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को भेज दिया जाएगा, जिसे वे योग्य छात्रों के बीच वितरित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम के निकटतम शाखा कार्यालय को भेजेंगे ताकि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा छात्रवृति की राशि के अगले किस्त का भुगतान किया जा सके।

नोटः- असुविधा की स्थिति में जिला पदाधिकारी/ आम आदमी बीमा योजना कोषांग, श्रम संसाधन विभाग, पटना/ पेंशन एवं समूह बीमा इकाई, भारतीय जीवन बीमा निगम, फ्रेजर रोड-1 से संपर्क करें।

भारतीय जीवन बीमा निगम
पेंशन एवं समूह बीमा इकाई
जीवन प्रकाश भवन, फ्रेजर रोड, पटना, बिहार।
दूरभाष :- 0612-2221662/ 2206739

श्रम संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, विकास भवन, पटना।
दूरभाष :- 0612-2232146, 2215559